छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक– 3251/1994

याचिकाकर्तागण

1. श्रीकांत अग्रवाल (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि:–
2. श्रीमती राजेश्वरी अग्रवाल, विधवा श्रीकांत अग्रवाल की, आयु लगभग 44 वर्ष
3. राजेश अग्रवाल, पिता स्वर्गीय श्री एस. के. अग्रवाल, आयु लगभग 23 वर्ष
4. बृजेश अग्रवाल, पिता स्वर्गीय श्री एस. के. अग्रवाल, आयु लगभग 21 वर्ष
5. उमेश अग्रवाल, पिता स्वर्गीय श्री एस. के. अग्रवाल, आयु लगभग 19 वर्ष
6. शिवेंद्र अग्रवाल, पिता स्वर्गीय श्री एस. के. अग्रवाल, आयु लगभग 18 वर्ष

सभी निवासी पुरानी बस्ती, बनिया पारा, रायपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण

1. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंक, केंद्रीय कार्यालय 'चन्द्रमुखी', नारीमन पॉइंट, बॉम्बे–400021
2. महाप्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय 'चन्द्रमुखी', नारीमन पॉइंट, बॉम्बे–400021
3. उप महाप्रबंधक, जोनल कार्यालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 33, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता–700001

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री।

श्री आर. आर. सिन्हा, अधिवक्ता याचिकाकर्तागण के लिए।

श्री बी. डी. गुरु, अधिवक्ता प्रतिवादीगण के लिए।

<u>मौखिक आदेश</u>

(19 जनवरी, 2006)

<u>न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:</u>

(1) यह याचिका श्री श्रीकांत अग्रवाल द्वारा दायर की गई थी। इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता का निधन हो गया और इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.09.1998 के द्वारा याचिकाकर्ता के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख में लाया गया।

(2) दिनांक 18.01.1971 को याचिकाकर्ता की नियुक्ति लिपिक–सह–कोषपाल के पद पर हुई। तत्पश्चात, वह दिनांक 01.01.1978 को कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड स्केल–I के पद पर पदोन्नत किया गया। वह आदेश दिनांक 30.06.1987 (अनुलग्नक पी/1) के द्वारा मध्य प्रबंध ग्रेड स्केल–II के पद पर पदोन्नत किया गया। वह दिनांक 16.10.1984 से 25.01.1986 तक जैथारी शाखा (शहडोल क्षेत्र) में शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थ था। उसने दिनांक 26.01.1986 से 16.01.1987 तक बिरसिंहपुर पाली शाखा (शहडोल क्षेत्र) में कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड स्केल–I में, शाखा प्रबंधक का कार्य किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) जब श्री श्रीकांत अग्रवाल (श्री एस. के. अग्रवाल) आंतरिक लेखा परीक्षक, ऑडिट ज़ोन, कलकत्ता, के रूप में पदस्थ थे, तब उन्हें ज्ञापन दिनांक 17.06.1991 (अनुलग्नक पी/2) तामील कर सूचित किया गया कि उनके विरुद्ध संलग्न आरोप–पत्र में उल्लिखित कदाचार के आरोप के संबंध में विभागीय जांच प्रस्तावित है। आरोप–पत्र के समर्थन में कदाचार का विवरण भी ज्ञापन के साथ संलग्न था। आरोप–पत्र के अनुसार, ऋण जारी करने के दो आरोप थे। पहला आरोप उस अवधि का है जब याचिकाकर्ता जैथारी शाखा में पदस्थ था। उस अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता ने श्री दशरथ प्रसाद सोनी, कुमारी रीता सोनी (श्री दशरथ प्रसाद सोनी की नाबालिग बेटी), कुमारी संगीता सोनी (श्री दशरथ प्रसाद सोनी की नाबालिग बेटी), और मास्टर संजय कुमार सोनी (श्री दशरथ प्रसाद सोनी के नाबालिग बेटे) को मोबाइल अनाज की दुकानों के लिए ऋण जारी किये। दूसरा आरोप उस अवधि का है, जब याचिकाकर्ता बिरसिंहपुर पाली शाखा में पदस्थ था। उस अवधि में याचिकाकर्ता ने श्री बीरेंद्र कुमार लाल, श्री निर्भय चंद लाल, श्री अभय चंद लाल, और श्री राजेश कुमार शर्मा को बिजली सामान की दुकान के लिए ऋण जारी किये, और मेसर्स मिथिला इलेक्ट्रिकल्स (जिसके स्वामी श्री निर्भय चंद लाल थे) को 'क्लीन ओवरड्राफ्ट' की अनुमति भी दी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एम्प्लॉयीज़ (कंडक्ट) रेगुलेशंस, 1976 (संक्षेप में 'रेगुलेशंस, 1976') के रेगुलेशन 3(1)(3) सपठित रेगुलेशन 24 के अंतर्गत कदाचार का आरोप लगाया गया, जिसके परिणामतः बैंक को लगभग 1,04,455/– रुपये और 94,094/– रुपये की मौद्रिक हानि हुई। इसके बाद,

शुद्धिपत्र दिनांक 28.10.1991 (अनुलग्नक पी/3), 02.12.1991 (अनुलग्नक पी/4) और 27.03.1992 (अनुलग्नक पी/5) जारी किए गए, जिससे आरोप–पत्र में टंकण त्रुटियों को सुधारा जा सके।

(4) श्री के. डी. सूद, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, शहडोल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और श्री ए. पी. शुक्ला, डी.सी.ओ., क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने नोटिस जारी करने और याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद, अपनी रिपोर्ट 26.06.1992 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया, जिसमें सभी आरोपों को सिद्ध पाया गया। जांच रिपोर्ट याचिकाकर्ता को पत्र दिनांक 03.09.1992 (अनुलग्नक पी/7) के द्वारा प्रदान की गयी। याचिकाकर्ता ने अपना अभ्यावेदन दिनांक 31.10.1992 (अनुलग्नक पी/8) को प्रस्तुत किया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट से सहमत होते हुए दिनांक 21.12.1992 को अपने अंतिम आदेश के माध्यम से विनियम 1976 के खंड 4 (एच) के अंतर्गत "सेवा से बर्खास्तगी की सजा जो सामान्यतः भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता होगी" का निर्णय दिया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय की सूचना याचिकाकर्ता को दिनांक 31.12.1992 (अनुलग्नक पी/7) के प्रशासनिक आदेश के माध्यम से दी गई और याचिकाकर्ता पर दंड तत्काल प्रभाव से लगाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.02.1993 (अनुलग्नक पी/14) को अपीलीय प्राधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, बम्बई के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें अन्य आधारों के साथ यह आधार लिया गया कि जांच अधिकारी का निष्कर्ष विरोधाभासी है। अपीलीय प्राधिकारी ने विस्तृत सकारण आदेश दिनांक 29.07.1993 (अनुलग्नक पी/15) के द्वारा अपील निरस्त की और सेवा से बर्खास्तगी की सजा की पुष्टि की है, जो याचिकाकर्ता को दोनों आरोपों के संबंध में अलग-अलग प्रदान की गई है, जो कि आरोपों की गंभीरता के अनुरूप है। इसके पश्चात्, याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.08.1993 (अनुलग्नक पी/16) को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बंबई के समक्ष पुनर्विलोकन याचिका-दया अपील प्रस्तुत की, जिसे भी आदेश दिनांक 27.01.1994 (अनुलग्नक पी/17) के द्वारा निरस्त किया गया।

(6) याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि आरोप-पत्र अनुलग्नक पी/2, जांच रिपोर्ट अनुलग्नक पी/3, दण्डादेश अनुलग्नक पी/13, अपील तथा पुनर्विलोकन में पारित पश्चात आदेश अनुलग्नक पी/15 और पी/17 को निरस्त किया जाए।

(7) याचिकाकर्ता ने इस आधार पर जांच रिपोर्ट को चुनौती दी है कि जांच रिपोर्ट के बाद याचिकाकर्ता को सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया। आगे यह भी कहा गया कि दण्डादेश अनुशासनात्मक

प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है, विरचित आरोप विशिष्ट नहीं थे, जांच अधिकारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहे, और अपीलीय प्राधिकारी ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील की अंतर्वस्तु पर ध्यान नहीं दिया।

(8) मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. आर. सिन्हा के साथ-साथ उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. डी. गुरु को भी सुना और जांच रिपोर्ट के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का भी अवलोकन किया है।

(9) जांच अधिकारी के निष्कर्षों के अवलोकन पर यह पाया गया कि जांच रिपोर्ट में कोई विरोधाभास नहीं है और आरोप विशिष्ट हैं। याचिकाकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद भी, याचिकाकर्ता ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर विचार किया गया है और याचिकाकर्ता के जांच रिपोर्ट पर दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया है। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील की सभी अन्तर्वस्तुओं पर विचार किया और माना कि जांच बहुत निष्पक्ष तरीके से की गई है और बचाव को पूरा अवसर प्रदान किया गया है। अपीलीय प्राधिकारी ने आगे यह भी निष्कर्ष दर्ज किया है कि ऋण बिना पूर्व-मंजूरी और पश्चात-मंजूरी निरीक्षण के दिए गए थे, जिससे बैंक को नुकसान हुआ है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) याचिकाकर्ता की इस चुनौती के संबंध में कि बर्खास्तगी का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है, यह स्पष्ट है कि आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है, जो कि उस क्षेत्र के उप महाप्रबंधक थे। यह स्वीकार्य है कि उप-महाप्रबंधक सक्षम प्राधिकारी थे और महाप्रबंधक अपीलीय प्राधिकारी थे। प्रश्न पूंछे जाने पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि सक्षम प्राधिकारी कौन था।

(11) उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी. डी. गुरु ने जवाब के साथ संलग्न दस्तावेज़ अनुलग्नक-आर/4 का अवलंब लिया है। उक्त दस्तावेज़ वर्तमान विवाद में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि वह कनिष्ठ प्रबंध और मध्यम प्रबंध (स्केल-II और स्केल-III) के अधिकारियों के अनुशासनात्मक प्राधिकारियों से संबंधित है। वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड स्केल-I में था और आक्षेपित आदेश बहुत वरिष्ठ अधिकारी यानी उप-महाप्रबंधक द्वारा पारित किया गया है तथा अपीलीय प्राधिकारी महाप्रबंधक है । अतः, इस जानकारी के अभाव में कि वास्तविक सक्षम प्राधिकारी कौन था, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित नहीं किया जा सका, वर्तमान मामले में उप-महाप्रबंधक सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं।

(12) मैं जांच रिपोर्ट, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई कमी नहीं पाता हूँ। अतः अनुशासनात्मक प्राधिकारी के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी के निष्कर्षों और निर्णयों में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

(13) उपरोक्त कारणों से, यह याचिका निरस्त की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

हस्ताक्षर/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Ashish Beck Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur